

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 190] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 18, 1972/आशाढ़ 27, 1894
No. 190] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 18, 1972/ASADHA 27, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th July 1972

G.S.R. 343(E).—In exercise of the powers conferred by Section 44 of the Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964), the Central Government makes the following rules further to amend the Food Corporations Rules, 1965, namely:—

1. (1) These rules may be called the Food Corporation (Second Amendment) Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Food Corporations Rules, 1965, in clause (a) under the heading "(ii) Daily Allowance" in sub-rule (2) of rule 7, for the letters figures "Rs. 35/-" the letters figures "Rs. 45/-" shall be substituted.

[No. F.8-11/72-FCC.]

A. K. MAJUMDAR, Jt. Secy.

कृषि मन्त्रालय

(खाद्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 1972

सां. कां. निं. 343(ई).—खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37) की धारा 44 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, खाद्य निगम नियम, 1965 में और आगे संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाती है; अर्थात्:—

1. (1) ये नियम खाद्य निगम (द्वितीय संशोधन) नियम, 1972 कहे जा सकेंगे।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. खाद्य निगम नियम, 1965 में नियम 7 के उप-नियम (2) में खंड (क) में “(ii) दैनिक भत्ता” शीर्षक के अन्तर्गत “35 रुपये” अक्षर और अंकों के स्थान पर “45 रुपये” अक्षर और अंक प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

[सं. फां. 8-11/72-एफ. सी. सी.]

ए. के. मजूमदार, संयुक्त सचिव।